दिनांक 24.11.2026
प्रेस विज्ञप्ति 588/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना मड़ियांव

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटनाओं का अनावरण**
- **लगभग 02 लाख 25 हजार रूपये कीमत की चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण**
- **48 हजार 300 रूपये नगद**
- **01 पिकअप डाला बरामद**

दिनांक 23.11.2026 की रात्रि थाना मड़ियांव व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हनुमान चौराहा के पास से 02 अभियुक्तों 1–पिन्टू 2–सुभाष को गिरफ्तार कर चोरी की घटनाओं का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 02 लाख 25 हजार रूपये कीमत की चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण, 48 हजार 300 रूपये नगद, 01 पिकअप डाला बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना मड़ियांव क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना मड़ियांव पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्त पिन्टू के विरूद्ध कमिश्नरेट लखनऊ, जनपद उन्नाव, सीतापुर व खीरी के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 02 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना मड़ियांव पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–पिन्टू निवासी ग्राम सुल्तानपुर थाना इटौजा, लखनऊ।

2–सुभाष निवासी ग्राम सुल्तानपुर थाना इटौजा, लखनऊ।

बरामदगी

1–लगभग 02 लाख 25 हजार रूपये कीमत की चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण।

2–48 हजार 300 रूपये नगद।

3–01 पिकअप डाला।

जनपद बुलन्दशहर/थाना कोतवाली देहात

- **पुलिस कार्यवाही में 01 गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 सुजूकी कार बरामद**

दिनांक 23.11.2026 को थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अडौली पुल के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त बिलाल घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 सुजूकी कार बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1– बिलाल निवासी छसियाबाडा थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2–01 सुजूकी कार।

कमिश्नरेट कानपुर नगर/थाना फजलगंज

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 06 करोड़ (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 600 ग्राम अवैध मादक पदार्थ एमडी (मेफेड्रोन)**
- **03 मोबाइल फोन**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 24.11.2026 को थाना फजलगंज व सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 03 अभियुक्तों 1–हाजिद अली उर्फ साहिल 2–रेहान 3–रिषभ कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 06 करोड़ (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 600 ग्राम अवैध मादक पदार्थ एमडी (मेफेड्रोन), 03 मोबाइल फोन, 01 मोटर साइकिल बरामद हुयी।

इस सम्बन्ध में थाना फजलगंज पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–हाजिद अली उर्फ साहिल निवासी ग्राम व पोस्ट मिर्जापुर थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहॉपुर।

2–रेहान निवासी मोहल्ला बाग रूस्तम थाना कोतवाली जनपद फतेहगढ़।

3–रिषभ कुमार निवासी ग्राम बबोरना थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़।

बरामदगी

1–लगभग 06 करोड़ (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) की 600 ग्राम अवैध मादक पदार्थ एमडी (मेफेड्रोन)।

2–03 मोबाइल फोन।

3–01 मोटर साइकिल ।

- **<u>जनपद महराजगंज/थाना बृजमनगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 65 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद महराजगंज पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद महराजगंज द्वारा थाना बृजमनगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 354ख भादवि व 06 पॉक्सो एक्ट व एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त गोविन्द को आजीवन कारावास व 65 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद एटा/थाना जलेसर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 25–25 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद एटा द्वारा थाना जलेसर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत 02 अभियुक्तों 1–रवि उर्फ रबिया 2–पवन को आजीवन कारावास व 25–25 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद फतेहपुर/थाना थरियांव (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक को 21 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद फतेहपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहपुर द्वारा थाना थरियांव पर पंजीकृत अभियोग में धारा 498ए/302/34 भादवि के अन्तर्गत 03 अभियुक्तों 1–छोटू उर्फ सुशील 2–राजू उर्फ पंकज 3–अभियुक्ता को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 21 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———